

कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इकौना-श्रावस्ती।

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण 2008 (सामान्य चयन) के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश सं.1186/15.11.2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 के प्रति प्रकाशित विज्ञप्ति एवं मा. उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के क्रम में जनपद श्रावस्ती हेतु निर्धारित 360 सीटों के सापेक्ष प्रथम जॉच सूची के जॉच उपरान्त, अनन्तिम सूची निर्गत कर दी गई है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्था/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। प्रथम अनन्तिम सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी website <http://shravasti.nic.in> पर बने लिंक 'FIRST INTERIM SELECT LIST' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रुपये 10/- के नॉन जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो जो नोटरी से प्रमाणित हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर भापथ पत्र एवं अपने समस्त मूल भौक्षिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धित प्रमाण पत्र (जो बी.एस.ए. द्वारा जारी किया गया हो) तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 13.07.2009 से 17.07.2009 के मध्य प्रातः 10.00 बजे से संस्थान में उपस्थित हों।

अनन्तिम सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षा मित्र से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनारक्षित	259.53	237.77	262.40	260.56	220.87	234.86
अनु0जा0	185.67	----	233.28	210.50		194.97
अनु0जनजा0	----	-----	232.71	213.82	
अन्य पिछड़ा वर्ग	240.59	206.21	250.84	244.68		203.63
विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्र से भिन्न		शिक्षा मित्र		महिला	पुरुष
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष		
दृष्टिबाधित विकलांग-5	239.72	246.83	-----	----		
श्रवण ह्रास विकलांग-6	242.56	241.94	-----	----		
चलनक्रिया विकलांग-7	246.94	254.71	-----	-----		
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित-8	-----	223.60	-----	-----		
भूतपूर्व सैनिक-9	-----	----	-----	-----		

- यह अनन्तिम चयन सूची मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों किसी लिपिकीय त्रुटि के अधीन होगी।
- जारी की गयी अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है, तथा आरक्षण नियमों के अन्तर्गत रिशफलिंग एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की निर्गमन संस्था से सत्यापन के अधीन होगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
श्रावस्ती।